



2026:AHC: 26650-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 4285/2010

बंश लाल एवं एक अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: चेतन चटर्जी, संतोष शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, के.डी. अवस्थी

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

कार्यालय आख्या दिनांक 4.9.2025 के आलोक में, जो अधीक्षक प्रभारी केंद्रीय कारागार, फतेहगढ़ की आख्या पर आधारित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी बंश लाल की मृत्यु 19.11.2020 को हुई थी और अपीलार्थी धर्मेन्द्र की मृत्यु उपचार के दौरान 26.10.2015 को हुई थी, यह अपील दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध उपशमित घोषित की जाती है।

फलस्वरूप, अपील उपशमित होने के कारण **खारिज** की जाती है।

वाद की पत्रावली अभिलेखागार में संचित की जाए।

हालांकि, विचारण न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के कार्यालय द्वारा अपने पास ही रखे जाएंगे क्योंकि उनकी अन्य संबंधित अपीलों में आवश्यकता होगी।

6 फरवरी, 2026

सत्यम

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।